रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 125] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 24, 1995/चैत्र 3, 1917

No. 125] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 24, 1995/CHAITRA, 3, 1917

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1995

सा.का.नि. 288(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दूरदर्शन के कार्यालयों और केन्द्रों में पुस्तकालय और सूचना सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:--

(1) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1).—इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरदर्शन (पुस्तकालय और सूचना सहायक) भर्ती नियम, 1995 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान:--उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि:—पदों को भरने की पद्धति, आयु-सीमा, पदों पर भर्ती की पद्धति और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निर्हरता—: वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :--जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिये जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :--इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गये वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु सीमा
1	2	3	4	5	6	7
पुस्तकालय और सूचना सहायक	94* (1995) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	1400-40-1600-50-2300-द.रो.-60-2600 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	28 वर्ष से अधिक नहीं। सरकारी सेवकों की दशा में, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार शिथिल करके "40 वर्ष तक" अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये 45 वर्ष तक की जा सकती है। टिप्पण :--आयु-सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाये।

सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
आवश्यक : (1) किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य (2) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री। (3) संबंधित क्षेत्र की भाषा बोलने का ज्ञान टिप्पण : अर्हतायें अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायेगा।
11	12
शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर, स्थानान्तरण पर या लम्बी बीमारी या अध्ययन, छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिये बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों के प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण पर भरी जा सकेगी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हैं और जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधी भर्ती के लिये विहित अर्हता है।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी जो 1. (1) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हैं, या (2) रु. 1200-2040 वेतनमान वाले पद पर पांच वर्ष से नियमित रूप से कार्यरत हों या (3) रु. 950-1500 वेतनमान वाले पद या समकक्ष पद पर 13 वर्ष से नियमित आधार पर कार्यरत हों, और

	12
	II कालम 8.1 में सीधी भर्ती के लिये निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव रखते हो (प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल, इस नियुक्ति से तत्काल पहले के किसी अन्य संगठन/केन्द्रीय सरकार के विभाग में संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति के कार्यकाल सहित तीन वर्ष से अधिक नहीं हो)।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
13	14
पुष्टि के लिये विभागीय प्रोन्नति समिति : (1) केन्द्र निदेशक (राजधानी केन्द्र)। (2) ज्येष्ठतम कार्यक्रम अधिकारी जो सहायक केन्द्र निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो। (3) ज्येष्ठतम इंजीनियर अधिकारी जो सहायक केन्द्र इंजीनियर से नीचे का न हो।	लागू नहीं होता

[संख्या 501/5/93-टी वी (ए)]

श्यामालिमा बनर्जी, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 1995.

G.S.R. 288(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Library and Information Assistant in the Offices of Doordarshan under the Ministry of Information and Broadcasting, namely:—

1. Short title and commencement : (1) These rules may be called the Doordarshan (Library and Information Assistant) Recruitment Rules, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay: The number of the posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in Columns 2 to 4 as specified in schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and qualification etc. : The method of recruitment to the said posts, age limits, qualifications, and other matters relating thereto shall be as specified in Col. 5 to 14 of the Schedule.

4. Disqualification : No person,

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts; provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power of relax : Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving : Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special Categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard

ANNEXURE

SCHEDULE

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post
1	2	3	4	5
Library and Information Assistant.	94* 1995 *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service 'C' Non-Gazetted (Non-Ministerial)	1400-40-1600-50-2300-EB-60-2600	Non-selection

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of CCS (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
6	7	8
Not applicable	Not exceeding 28 years. Relaxable upto 40 years (upto 45 years in respect of SC/ST candidates) in case of Government servants in accordance with the instructions or orders issued by Central Government. Note : The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by Staff Selection Commission.	ESSENTIAL: (i) Degree of a recognised University or equivalent. (ii) A degree in Library Science from a recognised University or equivalent. (iii) Knowledge of language/dialect of area concerned. Note : Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/ Competent Authority in case of candidates otherwise well qualified.

Whether age and Educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of Rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer percentage of the vacancies to be filled by various methods
(9)	(10)	(11)
Not Applicable	2 years for direct recruits	100% by direct recruitment. Note : Vacancies caused by the incumbents being away on transfer on deputation or long leave or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on transfer on deputation from the officials of the Central Government holding analogous post on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under Col. 8.

In case of rectt. by deputation/transfer, grades from which deputation/transfer to be made	If a DPC exists that is its composition	Circumstance in which UPSC is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)	(14)
Transfer on deputation Officials of the Central Government : (a)(i) Holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 5 years regular service in post in the scale of Rs. 1200-2040; or (iii) with 13 years regular service in posts in the scale of Rs. 950-1500 or equivalent; and	Departmental Promotion Committee for confirmation. 1. Director/Head of office of Kendra. 2. Senior most Programme Officer not below the rank of Assistant Station Director. 3. Senior most Engineering Officer not below the rank of Assistant Station Engineer.	Not Applicable

12
(b) : possessing the qualification and experience prescribed for direct recruits under Col. 8.1. (The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Deptt. of the Central Govt. shall ordinarily not exceed 3 years).

[No. 501/5/93-T.V.(A)]

SHYAMALIMA BANERJEE, Under Secy.

709 GI/95—2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995